राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – हरड़िया

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 112/2019

1. जयचन्द पुत्र बुजाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. माली देवी पत्नी मुखराम उम्र ..... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सम्पत पुत्र मुखराम उम्र .... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. आनन्द पुत्र मुखराम उम्र .... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. फूली देवी पत्नी धनसिंह पुत्रवधू बुजाराम उम्र .... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. दलीप पुत्र धनसिंह नवीरा बुजाराम उम्र .... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. रणवीर पुत्र धनसिंह नवीरा बुजाराम उम्र ..... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रतन कंवर पत्नी रतन पुत्रवधू धनसिंह उम्र .... वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. श्रवणी देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. होशियार सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सज्जन सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. विजेन्द्र पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. इन्द्रसिंह पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. नरेन्द्र सिंह पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. विधा पुत्री हणमान जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. पुष्पा पुत्री हणमान जाति जाट निवासी ढाणी ढीमावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

दावा– घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

::निर्णय:: दिनांक 18–11–2021

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम हरड़िया तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 242 खसरा नंबर 396 रकबा 1.20 है. भूमि के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी हणमान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी स्व. हणमान ने दिनांक 17.11.2005 को वादी संख्या 1 व वादी सं. 2 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी स्व. मुखराम व वादी संख्या 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी स्व. धनसिंह के हक में भूमि खसरा नंबर 396 रकबा 1.20 है. हिस्सा 3/5 यानि 0.72 है. भूमि जयचन्द, मुखराम, धनसिंह को बहिस्सा बराबर–बराबर बेचान कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक, खेतड़ी के यहां तस्दीक करवा कर कब्जा भूमि का सौंप दिया था और क्रेतागण ने कब्जा भी उसी दिन प्राप्त कर लिया था। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी मुखराम व वादी संख्या 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी धनसिंह ने अपनी खरीद शुद्धा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये थे और आज भी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादी अपने 0.24 है. भूमि पर काबिज है तथा वादी संख्या 2 लगायत 4 अपने 0.24 है. भूमि पर काबिज है एवं वादी संख्या 5 लगायत 8 भी अपने 0.24 है. भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वाद वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड अभी तक प्रतिवादीगण के ही नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण ने अभी तक उक्त भूमि का नामांतकरण अपने नाम से दर्ज नहीं करवाया इस कारण उक्त वाद वर्णित भूमि की घोषणा हेतु यह दावा पेश है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम हरड़िया तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 242 के खसरा नंबर 396 रकबा 1.20 है. भूमि में वादी संख्या 1 को 0.24 है., वादी संख्या 2 लगायत 4 को 0.24 है. तथा वादी संख्या 5 लगायत 8 को 0.24 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 242 ग्राम हरड़िया (प्रदर्श–1), फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2002 (प्रदर्श–2ए) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र जयचन्द (पी.डब्ल्यू–1), मक्खन सिंह (पी. डब्ल्यू–2) भी पेश किये गये।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजस्व लोक अदालत कैम्प हरड़िया में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक [illegible] व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों वाद वादीगण [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः ग्राम हरड़िया स्थित भूमि खाता सं. 242 खसरा नंबर 396 रकबा 1.20 है. में वादी संख्या 1 को 0.24 है., वादी संख्या 2 लगायत 4 को 0.24 है. तथा वादी संख्या 5 लगायत 8 को 0.24 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार, खेतड़ी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि नामांतकरण दर्ज करते समय वादीगण के हकपूर्वाधिकारी के वारिशान के संबंध में पुनः जांच कर लेवें यदि वादीगण अतिरिक्त कोई वारिश शेष हो तो उसे भी शामिल करते हुए नामांतकरण की कार्यवाही की जावे। शेष भूमि जमाबंदी बदस्तूर रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प हरड़िया में दिनांक 18–11–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner